



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.03.2024	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-06/2024</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती निशा घोष, ग्राम-जनार्दनपुर, पं0-बागडेहरी, प्र0-कुण्डहित, जामताड़ा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा अनुपस्थित एवं सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय आयोग कार्यालय में उपस्थित।</p> <p>आयोग के अभिलेख में आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन मौजूद नहीं है। ऐसे में आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेश देता है कि वो इस आशय का स्पष्टिकरण जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से पूछें कि आयोग के निदेश के बावजूद आयोग के आदेश का अनुपालन का प्रमाण क्यों नहीं प्रेषित किया गया और सुनवाई में भी वो न तो व्यक्तिगत तौर पर न ही उनके प्रतिनिधि सशरीर उपस्थित रहे न ही दूरभाष के माध्यम से। आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेश देता है कि वो अगली सुनवाई से पूर्व लाभुक को योजना का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p> <p>मामले की अगली सुनवाई दिनांक-12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति शिकायतकर्ता के साथ-साथ सभी संबंधितों को अनुपालनार्थ भेजें। दिनांक-12.04.2024 को रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div style="text-align: center;"> (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div><div style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div></div>	